कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-175 दिनांक:1-6-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक 20वीं दिनांक 27-5-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0 20वीं दिनांक 27-5-2002 प्रात:/सायं 3:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

1/6/2002

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन.....,जविप्रा,जयपुर।

1/6/2002

सदस्य सचिव,
बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..20वीं....बैठक दिनांक.27-5-2002.
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : खुदाबादी गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : शंकर नगर विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : 19 एन

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. योजना में 60% से अधिक क्षेत्र आवासीय प्रस्तावित है जिसके क्रम में उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तुत तथ्य व भूखंड़ों की चौड़ाई कम कर दी गई है और सोसायटी द्वारा प्रस्तुत भूखंड़ों की संख्या के बराबर रखी गयी है जिससे अब सुविधा क्षेत्र 13.16% हो जाता है जिसे अनुमोदित किया गया है ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..20वीं....बैठक दिनांक...27-5-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : श्री छत्रपति शिवाजी गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : अल्का पुरी "ए"
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : 19 एन

जोनल लेबल(जोन संख्या..बी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. भूखण्ड संख्या 3,4,7,7ए,8,18,19ए,46,36,34ए,35 के मध्य हाईटेन्शन लाईन गुजरती है । अत: हाईटेन्शन लाईन के मध्य से दोनों ओर 25-25 फिट भूमि हाईटेन्शन लाईन हेतु सुरक्षित रखी जाती है । एवं मौके पर स्थित 30 फिट को ही यथावत रखा जाना प्रस्तावित है ।
2. भूखंड संख्या 34,19,20,17,16,8,9,6,5 के ऊपर विद्युत लाईन(एल॰टी॰ लाईन) गुजरती है जिस कारण से अनुमोदित नहीं किये जा रहे हैं परन्तु विद्युतलाईन हट जाने के पश्चात स्वत: अनुमोदित माने जायेंगे ।
3. योजना के पश्चिम में स्थित 25 फिट चौड़ी सड़क को सैक्टर रोड 40 फिट होने के कारण सड़क के मध्य से दोनों ओर 7`-6"-7`-6" भूखंडों में से कम करते हुये सड़क को चौड़ाई 40` अनुमोदित की गई ।
4. भूखण्ड संख्या 7ए और 7बी को सुविधा क्षेत्र में रखा जाए और उन दोनों भूखंडों को भूखंड संख्या 47 से 54 के बीच में समायोजित किया जाए ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की 20वीं बैठक दिनांक 27-5-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : छत्रपति शिवाजी गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : प्रताप नगर विस्तार "ए"
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..बी-3....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मास्टर प्लान 2011 में योजना का भू-उपयोग थोक व्यापार व स्पेशलाइज्ड मार्केट है। अतः आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किया जाए।
2. उपायुक्त जोन बी-3 द्वारा प्रस्तावित भूखण्डों की चौड़ाई छोटा कर सुविधा क्षेत्र सृजित करने को अनुमोदित किया गया। और निर्देश दिये गये कि आवासीय 60% ही रखा जाए।
3. उपायुक्त जोन बी-3 ने बताया कि समिति द्वारा प्रस्तावित योजना में हाईटेन्शन लाईन के नीचे से 100' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जिसे अनुमोदित किया गया एवं प्रश्नगत एच॰टी॰ लाईन उत्तर-दक्षिण में मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क को सीकर बाई पास से लेकर प्रथम चौराहे तक विलोपित किया गया है।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की 20वीं बैठक दिनांक 27-5-2002 में निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया -

(1) विषय :- छत्रपति शिवाजी गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना प्रताप नगर विस्तार ।

बैठक से पूर्व माननीय सदस्यों सर्वश्री अशोक तंवर एवं श्री राजेन्द्र मावर को उपायुक्त जोन बी-3 श्री बी॰पी॰ सिंह एवं श्री मुकेश मित्तल कार्यवाहक वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) ने मौका निरीक्षण करवाया ।

वाद विचार-विमर्श में यह तय किया गया कि प्रश्नगत योजना का मौका निरीक्षण आयुक्त जविप्रा द्वारा भी किया जाए तब कि के लिए प्रकरण स्थगित किया गया ।

(2) विषय :- तोपखाना देश गृ॰नि॰स॰स. की योजना नेमीनगर के भूखण्ड संख्या ए30 से ए32 के पुनर्गठन बाबत ।

प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया और यह तय किया कि जोन द्वारा प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर तकनीकी टिप्पणियों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें । B-6

(3) विषय :- जय अम्बे गृ॰नि॰स॰स॰ की योजना शेखावाटी नगर । B-3

प्रकरण पर विचार-विमर्श किया गया और बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि ओनर्स लैण्ड को भी योजना में शामिल करवाया जाए और 60-40 का अनुपात रखते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे ।

(4) विषय :- सुभाष सिन्धी को॰हा॰सो॰लि॰ की स्कीम नम्बर 21 बाबत । B-8

प्रकरण में वाद विचार-विमर्श समिति के सदस्यों द्वारा मौका देखे जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 27.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 की ऑल राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की सिचाई नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिया गया:-

ऑल राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की सिचाई नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 22.5.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

(1) योजना का 60:40 अनुपात में अनुमोदन किया जावें

(2) भूखण्ड संख्या ए-192, ए-193, ए-61, ए-62, ए-60, ए-59, ए-21, बी-63, बी-64, बी-71, ए-187, ए-188, ए-189, ए-47, ए-48, ए-49, ए-50, ए-39, ए-40, ए-97, ए-3 का नियमन L.T. Line शिफ्ट करने के पश्चात किया जावें

(3) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय में किया जावें।

(4) ऑल राजस्थान इरिगेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा योजना का डिर्माकेशन रिवाइज प्लान के अनुसार करवाया जावेगा।

(5) भूखण्ड संख्या ए-4 से ए-18 के पीछे प्रस्तावित पार्क एवं भूखण्ड संख्या बी-27, ए-195, ए-106 के उत्तर की ओर स्थित सडक को अस्वीकृत किया जावें क्योंकि यह समिति की भूमि नहीं हैं।

(6) भूखण्ड संख्या बी-45 एवं भूखण्ड संख्या ए-200 का आंशिक भाग योजना सीमा से बाहर होने के कारण नियमन नहीं किया जावें।

(7) उक्त योजना को आल राजस्थान इरिगेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ द्वारा रिवाईज प्लान प्रस्तुत किया हैं एवं एसोसियेशन द्वारा सभी सदस्यों से विचार विमर्श पश्चात समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई हैं। पूर्व में बस्सी सीतारामपुरा गृ. नि.स.स. द्वारा पट्टे जारी किये गये थे किन्तु आल राजस्थान इरिगेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसियेशन के पदाधिकारियों द्वारा खातेदार से इकरारनामा कर एसोसियेशन के संयोजक द्वारा पट्टों पर हस्ताक्षर किये गये है। अत: अनुमोदित योजना के अनुसार इरिगेशन एसोसियेशन द्वारा रिवाईज पट्टे प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही नियमन की कार्यवाही की जावें।

(8) योजना में निर्मित क्षेत्रफल 10 प्रतिशत से कम होने के कारण अ.शा. टीप क्रमांक विस/म/स्वा.शा./2002/320 दिनांक 9 मई 2002 के संदर्भ में मामला अनुमोदन हेतू अध्यक्ष, **जविप्रा को भेजा जावें।**

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)